डॉ0 पंकज कुमार पाण्डेय, सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।	आर0 मीनाक्षी सुन्दरम् सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।

प्रिय महोदय / महोदया,

सम्पूर्ण भारत में COVID-19 टीकाकरण अभियान को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 16 जनवरी 2021 को शुरू किया गया था, जिसमें पहले चरण में HCW और FLW के टीकाकरण एवं द्वितीय चरण में 18 वर्ष से अधिक के समस्त नागरिक के टीकाकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया था।

उत्तराखण्ड राज्य में दिनांक 28 दिसम्बर, 2021 तक 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग वाले नागरिकों का कुल 1,40,15,594 कोविड वैक्सीन की डोज़ दी जा चुकी है, जिसमें 77,60,721 प्रथम डोज तथा 62,54,873 दूसरी डोज सम्मिलित है।

वर्तमान में कोविड–19 महामारी को ध्यान में रखते हुए एवं भारतवर्ष में Omicron Variant पाये जाने के दृष्टिगत वैज्ञानिक साक्ष्य, वैश्विक प्रथाओं और 'COVID–19 राष्ट्रीय तकनीकी कार्य समूह' National Technical Advisory Group on Immunization (NTAGI) एवं Standing Technical Scientific Committee (STSC) के इनपुट / सुझावों के आधार पर कोविड–19 वैक्सीनेशन के अन्तर्गत 15 से 18 वर्ष आयु के समस्त लाभार्थियों को सम्मिलित किया गया है, जिसके क्रम में :–

i. 15–18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का दिनांक 03 जनवरी 2022 से COVID-19 टीकाकरण शुरू किया जाएगा। ऐसे लाभार्थियों के लिए टीकाकरण विकल्प केवल "Covaxin" होगा।
ii. अत्यधिक एहतियात के तौर पर, उन स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों (एच0सी0डब्ल्यू0) और फ्रंट लाइन वर्कर्स (एफ0एल0डब्ल्यू0) जिन्हें दोनों डोज प्राप्त हैं, ऐसे लाभार्थियों को दिनांक 10 जनवरी 2022 से कोविड–19 वैक्सीन की एक और खुराक प्रदान की जाएगी। यह एहतियाती खुराक दूसरी खुराक देने की तारीख से 9 महीने यानी 39 सप्ताह पूरे होने पर दी जाएगी।
iii. 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के comorbid व्यक्तियों, जिन्होंने कोविड–19 वैक्सीन की दो खुराक प्राप्त की हैं, ऐसे लाभार्थियों को डॉक्टर की सलाह पर दिनांक 10 जनवरी 2022 से एहतियाती खुराक प्रदान की जाएगी। यह एहतियाती खुराक दूसरी खुराक देने की तारीख से 9 महीने यानी 39 सप्ताह पूरे होने पर दी जाएगी।

कोविड–19 वैक्सीनेशन में सम्मिलित नवीन वर्ष आयु (15 से 18) को उत्तराखण्ड राज्य में सफलतापूर्वक सम्पन्न किये जाने हेतु निम्न निर्देशों के अनुसार कार्य करना सुनिश्चित करें–

1. शिक्षा विभाग द्वारा राष्ट्रीय कोविड–19 वैक्सीनेशन अभियान के आयोजन हेतु निर्धारित दिनांक 03 जनवरी, 2022 से इस कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु स्वास्थ्य विभाग से आवश्यक समन्वय स्थापित करें।
2. ज़िला एवं खंड स्तर पर ज़िला मजिस्ट्रेट और उप जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में स्वास्थ्य समिति की बैठक करें, जिसमें शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सम्मिलित किया जाये, जिससे कि कार्यक्रम हेतु योजना निर्माण, क्रियान्वयन और रिपोर्टिंग पूर्व निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित की जा सके।
3. शिक्षा विभाग अपनी विभागीय बैठकों में राष्ट्रीय कोविड–19 वैक्सीनेशन को प्रमुखता से शामिल करें जिससे कि कार्यक्रम से सम्बंधित मुख्य संदेशों को बताया जा सके और उच्च कवरेज के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिल सके।
4. जिला स्तर पर शिक्षा विभाग के ब्लॉक अधिकारियों का प्रशिक्षण स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से किया जायेगा, जबकि खंड / सेक्टर स्तर पर अध्यापकों का प्रशिक्षण स्वास्थ्य विभाग एवं उनके

सम्बंधित विभागों के सहयोग से दिए गए प्रशिक्षण तंत्र (Training Cascade) के अनुसार पूर्ण किया जायेगा।

5. कवरेज को बढ़ाने और कार्यक्रम के बारे में जागरूकता लाने के लिए शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त प्रचार–प्रसार सामग्री को स्कूलों में राष्ट्रीय कोविड–19 वैक्सीनेशन के दिनांक 03 जनवरी, 2022 से पूर्व उपयुक्त जगह पर प्रसारित करेंगे।
6. समस्त 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों को जो प्राईवेट स्कूल, सरकारी स्कूल, केन्द्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूल, स्थानीय निकाय द्वारा चलाये जा रहे स्कूल, मदरसा, आदिवासी क्षेत्र के लिए चलाए जा रहे स्कूल, संस्कृत स्कूल में नामांकित हैं, उनका कोविड–19 वैक्सीनेशन किया जाना है।
7. शिक्षा विभाग द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाए की प्रत्येक 15 से 18 वर्ष के बच्चों का आई0 कार्ड/आधार कार्ड एवं मोबाइल नं0 (स्वयं/अभिभावकों) वैक्सीनेशन प्रक्रिया के दौरान उपलब्ध रहे, जिससे पात्र लाभार्थियों का पंजीकरण कोविन–पोर्टल पर किया जा सके।
8. स्कूल अपने द्वारा पंजीकृत 15 से 18 वर्ष के बच्चों की लिस्ट जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/जिला प्रतिरक्षण अधिकारी को देना सुनिश्चित करें। तत्पश्चात जनपद द्वारा बच्चों की लिस्ट राज्य को उपलब्ध करायी जाएगी।
9. राष्ट्रीय कोविड–19 वैक्सीनेशन अभियान हेतु विद्यालय प्राचार्य/प्रधानाध्यापक, अध्यापक द्वारा दिनांक 03 जनवरी, 2022 से दिनांक 10 जनवरी, 2022 के अन्तराल में जिला स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय स्थापित करते हुए स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से (शीतकालीन अवकाश होने की अवस्था में) खोलने एवं उक्त दिवस में विद्यालय के 15–18 वर्ष के समस्त विद्यार्थियों की शत–प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करें।
10. स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य एवं जिला स्तर पर प्रेस/मीडिया प्रतिनिधियों को कार्यक्रम के बारे में जागरूक और संवदेनशील बनाने हेतु दिनांक 03 जनवरी, 2022 से पूर्व विशेष सत्र आयोजित किया जाये।
11. स्वास्थ्य विभाग को कार्यक्रम के बारे में समुदाय में जागरूकता बढ़ाने के लिए 03 जनवरी, 2022, को ज़िला एवं खंड स्तर पर उद्घाटन कार्यक्रम अवश्य आयोजित किये जायें। साथ ही विभिन्न मीडिया के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार–प्रसार किया जायेगा।
12. शिक्षा विभाग ज़िला शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से प्राईवेट स्कूलों व प्राईवेट स्कूलों की एसोसिएशन के अध्यक्षों की विशेष बैठक आयोजित करें जिससे उन्हें कार्यक्रम के सम्बंध में जागरूक करके उनकी भागीदारी बढ़ायी जा सके।
13. जिन स्कूलों में कोविड–19 वैक्सीनेशन केन्द्र चिन्हित किये जाऐंगे, उनमें अपने स्तर पर निम्न बिन्दुओं को सुनिश्चित करें :–
    - वैक्सीनेशन ऑफिसर–3 & 4 (Observer) (01 स्वास्थ्य विभाग के हों) तथा अन्य सदस्य विभागीय कार्यालय से लिये जायें।
    - कोविड–19 टीकाकरण केन्द्र पर Waiting area एवं Observation area में बच्चों के लिए मनोरंजन का साधन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
    - कोविड–19 टीकाकरण केन्द्र पर प्रवेश एवं निकास हेतु दो अलग दरवाजों का उपयोग किया जाए।
    - भारत सरकार द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशानुसार सम्बन्धित कार्यालय द्वारा वैक्सीनेशन साइट की पूर्ण तैयारी की जायेगी (पर्याप्त स्थान की व्यवस्था, इन्टरनेट, डाटा एन्ट्री सम्बन्धित कार्य, पीने के पानी एवं हाथ धोने की व्यवस्था, कूड़ेदान की व्यवस्था इत्यादि)।

- COVID उपयुक्त व्यवहार (सामाजिक दूरी न्यूनतम 6 फीट, हाथों की नियमित धुलाई, मास्क, दस्ताने और हैंड सैनिटाइज़र इत्यादि) का हर समय हर जगह पर सख्ती से पालन किया जाए।
- किसी भी प्रकार की प्रतिकूल घटना से निपटने हेतु कोविड–19 टीकाकरण केन्द्र को निकटतम स्वास्थ्य ईकाई के साथ चिन्हित किया जाए तथा सुनिश्चित करें कि प्रतिकूल घटना होने पर समय से सूचना ए.एन.एम. के माध्यम से मेडिकल ऑफिसर से एम.ओ. आई.सी./खण्ड स्तरीय नोडल अधिकारी से जिला स्तरीय नोडल अधिकार से राज्य नोडल अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग को दी जाये।
- सभी को आरोग्य सेतु ऐप की स्थापना और उपयोग की सलाह दी जाए।
- कोविड–19 टीकाकरण केन्द्र में एक विस्तृत साइट योजना तैयार की जाए, जो भीड़ प्रबंधन एवं थर्मल स्क्रीनिंग के अनुपालन की सुविधा प्रदान करे।
- मानक अपशिष्ट प्रबंधन प्रोटोकॉल (Standard Waste Management Protocol) के अनुसार आगंतुकों और कर्मचारियों द्वारा उपयोग किये गये फेस कवर/मास्क को डिस्पोज़ किया जाए।
- COVID-19 वैक्सीनेशन से सम्बन्धित सूचनाओं पर पोस्टर/स्टैंड/ए.वी. मीडिया एवं "Do's and Don'ts" को प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित किया जाए।
- स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के नम्बर और हेल्पलाइन नंबर को प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित किया जाए।

हमें विश्वास है कि आपके सहयोग से हम राष्ट्रीय कोविड–19 वैक्सीनेशन अभियान के अन्तर्गत दिनांक 03 जनवरी, 2022 से 15 से 18 वर्ष के सभी बच्चों तक पहुंचने में सफल होंगे तथा इन सभी बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य और शैक्षणिक परिणाम से उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार ला पाएंगे।

सचिव,
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा
उत्तराखण्ड शासन

सचिव,
विद्यालयी शिक्षा
उत्तराखण्ड शासन

उत्तराखण्ड शासन
सचिव, विद्यालयी शिक्षा
पत्रांक संख्या : 324 /2021
देहरादून : दिनांक :30 दिसम्बर, 2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
2. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिला मुख्य शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा), उत्तराखण्ड।
4. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उत्तराखण्ड।
5. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड।
6. मिशन निदेशक एन. एच.एम. उत्तराखण्ड।

7. महानिदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड।
8. प्रतिनिधि, उत्तराखण्ड मदरसा बोर्ड।
9. उपायुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, लखनऊ।
10. उपायुक्त, केंद्रीय विद्यालय संगठन, देहरादून।
11. राज्य प्रतिनिधि, प्राइवेट स्कूल यूनियन, उत्तराखण्ड।
12. प्रतिनिधि, क्षेत्रीय कार्यालय, सी.बी.एस.ई., देहरादून।
13. प्रभारी अधिकारी, आई. ई. सी. और आशा सेल एन.एच.एम. उत्तराखण्ड।
14. प्रतिनिधि, मोबाइल मेडिकल यूनिट, 108, 104, उत्तराखण्ड।
15. सर्वर प्रभारी कक्ष को ईमेल एवं वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
16. प्रतिनिधि एस0एम0ओ0, डब्लू0एच0ओ0 एवं एस0पी0ओ0 यू0एन0डी0पी0, उत्तराखण्ड।
17. रक्षित पत्रावली।